संख्या-11/2021/859/12-3-2021-100(11)/2015**टी.सी.।।**

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक**: 07 **जुलाई**, 2021

विषय:- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु संचालित स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू.सं./बाढ़ोयो./नमामि गंगे/51/21-22, दिनांक 08.06.2021 एवं पत्र सं0- भू.सं./बाढ़ोयो./नमामि गंगे/52/21-22, दिनांक 08.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 एवं अनुदान सं0-11 के अन्तर्गतं केन्द्रांश के रूप में क्रमश: रू0 309.8002 लाख एवं रू0 816.2862 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	**मानक मद**	**एन.एम.एस.ए. योजना का प्राविधान** 2021-22	**नमामि गंगे योजना हेतु कुल मात्राकृत धनराशि**	**स्वीकृत धनराशि** (के060)
अनुदान संख्या-11 **के लेखाशीर्षक** 2402- **मृदा एवं जल संरक्षण** -102-**मृदा संरक्षण**-01 **केन्द्र प्रायोजित योजनायें**-0102- **नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योंजना (स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान)**	1	2	3	6
	11-लेखन सामग्री	76.26	40.00	0.186
	27- सब्सिडी	14972.63	4800.00	289.476
	42-अन्य व्यय़	6971.78	3000.00	20.1382
	योग-	22020.67	7840.00	309.8002
अनुदान संख्या-11 **के लेखाशीर्षक** 2402- **मृदा एवं जल संरक्षण** -102-**मृदा संरक्षण**-01 **केन्द्र प्रायोजित योजनायें**-0102- **नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योंजना (स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान)**	08- कार्यालय व्यय	71.30	40.00	4.2
	11-लेखन सामग्री	76.26	40.00	4.104
	27- सब्सिडी	14972.63	4800.00	367.2822
	42-अन्य व्यय़	6971.78	3000.00	336.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य	2716.41	500.00	102.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	35.96	5.00	1.80
	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	855.50	27.00	0.90
	योग	25699.84	8412.00	816.2862
	महायोग	47720.51	16252.00	1126.0864

(रू0 ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख आठ सौ चौंसठ मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता तथा स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

4- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कियें जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है। स्वीकृत धनराशि का व्यय पी0के0वी0वाई0 योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स तथा संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6- प्रश्नगत योजना की भारत सरकार की गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

9- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

12- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थी की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों तथा अन्य संगत नियमों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

सं0-11/2021859(1)/12-3-2021-**तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन पत्र की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10- संयुक्त कृषि निदेशक, (बाह्योन्मुखी योजना), कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- शासनादेश की वेबसाइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है